न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

2020-00202RAAJodhpur2020-101RTA223 Prakash Kanwar etc Vs Fool Kanwar o ors

1. प्रकाश कंवर पत्नी शैलेन्द्रसिंह राजपूत
2. लक्षिता पुत्री शैलेन्द्रसिंह राजपूत (नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता प्रकाश कंवर पत्नी शैलेन्द्रसिंह राजपूत)
3. मिताक्सा (मिताक्षा) पुत्री शैलेन्द्रसिंह राजपूत (नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता प्रकाश कंवर पत्नी शैलेन्द्रसिंह राजपूत)
4. दक्षराजसिंह पुत्र शैलेन्द्रसिंह राजपूत (नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता प्रकाश कंवर पत्नी शैलेन्द्रसिंह राजपूत)
5. अजयपालसिंह पुत्र हरनाथसिंह राजपूत
6. उमाकंवर पुत्री हरनाथसिंह राजपूत
7. दीपशिखा पुत्री हरनाथसिंह राजपूत
8. उगमकंवर पत्नी हरनाथसिंह राजपूत
9. जोरावरसिंह पुत्र हरिसिंह राजपूत
10. मेघसिंह पुत्र हरिसिंह राजपूत
11. पुष्पकंवर पुत्री हरिसिंह राजपूत
12. रेवतसिंह पुत्र हीरसिंह राजपूत
13. देवीसिंह पुत्र हीरसिंह राजपूत
14. रतनसिंह पुत्र हीरसिंह राजपूत
15. रणवीरसिंह पुत्र हीरसिंह राजपूत
16. रावलसिंह पुत्र जितेन्द्रसिंह (नाबालिग जरिये वलिया दादी पदमकंवर पत्नी हीरसिंह राजपूत)
17. पदमकंवर पत्नी हीरसिंह राजपूत
18. विनोद कंवर पुत्री हीरसिंह राजपूत
निवासीगण ओसियां, तहसील ओसियां
जिला जोधपुर

.... अपीलाण्ट्स

ब

ना

म

1. फूलकंवर पुत्री डूंगरसिंह पत्नी भींखसिंह राजपूत
2. फतेहकवंर पुत्री डूंगरसिंह पत्नी भगवानसिंह राजपूत
3. महेन्द्रकंवर पुत्री डूंगरसिंह पत्नी दिलीपसिंह राजपूत
4. महावीरसिंह पुत्र गुलाबसिंह राजपूत
5. हनुमानसिंह पुत्र गुलाबसिंह राजपूत
6. शीलकंवर पुत्री मनोहरसिंह राजपूत
7. शोभागसिंह पुत्र मनोहरसिंह राजपूत
8. उदयसिंह पुत्र मनोहरसिंह राजपूत
9. बागसिंह पुत्र मनोहरसिंह राजपूत

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

10. किशनसिंह पुत्र मनोहरसिंह राजपूत
11. संतोषकंवर पत्नी हनुमानसिंह राजपूत
निवासीगण ओसियां, तहसील ओसियां
जिला जोधपुर
12. देवीलाल पुत्र हेमाराम जाट
13. लूणाराम पुत्र मुल्तानाराम जाट
निवासीगण जाटीपुरा ओसिया
तहसील ओसियां, जिला जोधपुर
14. तहसीलदार ओसियां

... रेस्पो.

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, ओसियां दिनांक 02 दिसम्बर 2019 राजस्व वाद संख्या 96/2019 प्रकाशकंवर व अन्य बनाम फूलकंवर इत्यादि

उपस्थित-
श्री रोशनलाल विश्नोई, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री रघुवीरसिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स

अपील संख्या : 2020-203RAAJodhpur2020-100RTA223 Fool Kanwar o ors Vs Prakash Kanwar etc

फतेहकंवर पत्नी डूंगरसिंह पत्नी भगवानसिंह राजपूत
निवासी ओसियां, तहसील ओसियां
जिला जोधपुर

.... अपीलाण्ट्स

ब

ना

म

1. प्रकाश कंवर पत्नी शैलेन्द्रसिंह राजपूत
2. लक्षिता पुत्री शैलेन्द्रसिंह राजपूत (नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता प्रकाश कंवर पत्नी शैलेन्द्रसिंह राजपूत)
3. मिताक्सा (मिताक्षा) पुत्री शैलेन्द्रसिंह राजपूत (नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता प्रकाश कंवर पत्नी शैलेन्द्रसिंह राजपूत)

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

4. पक्षराजसिंह पुत्र शैलेन्द्रसिंह राजपूत (नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता प्रकाश कंवर पत्नी शैलेन्द्रसिंह राजपूत)
5. अजयपालसिंह पुत्र हरनाथसिंह राजपूत
6. उमाकंवर पुत्री हरनाथसिंह राजपूत
7. दीपशिखा पुत्री हरनाथसिंह राजपूत
8. उगमकंवर पत्नी हरनाथसिंह राजपूत
9. जोरावरसिंह पुत्र हरिसिंह राजपूत
10. मेघसिंह पुत्र हरिसिंह राजपूत
11. पुष्पकंवर पुत्री हरिसिंह राजपूत
12. रेवतसिंह पुत्र हीरसिंह राजपूत
13. देवीसिंह पुत्र हीरसिंह राजपूत
14. रतनसिंह पुत्र हीरसिंह राजपूत
15. रणवीरसिंह पुत्र हीरसिंह राजपूत
16. रावलसिंह पुत्र जितेन्द्रसिंह (नाबालिग जरिये वलिया दादी पदमकंवर पत्नी हीरसिंह राजपूत)
17. पदमकंवर पत्नी हीरसिंह राजपूत
18. विनोद कंवर पुत्री हीरसिंह राजपूत
निवासीगण ओसियां, तहसील ओसियां
जिला जोधपुर
19. फूलकंवर पुत्री डूंगरसिंह पत्नी भींखसिंह राजपूत
20. महेन्द्रकंवर पुत्री डूंगरसिंह पत्नी दिलीपसिंह राजपूत
21. महावीरसिंह पुत्र गुलाबसिंह राजपूत
22. हनुमानसिंह पुत्र गुलाबसिंह राजपूत
23. शीलकंवर पुत्री मनोहरसिंह राजपूत
24. शोभागसिंह पुत्र मनोहरसिंह राजपूत
25. उदयसिंह पुत्र मनोहरसिंह राजपूत
26. बाघसिंह पुत्र मनोहरसिंह राजपूत
27. किशनसिंह पुत्र मनोहरसिंह राजपूत
28. संतोषकंवर पत्नी हनुमानसिंह राजपूत
निवासीगण ओसियां, तहसील ओसियां
जिला जोधपुर
29. देवीलाल पुत्र हेमाराम जाट
30. लूणाराम पुत्र मुल्तानाराम जाट
निवासीगण जाटीपुरा ओसिया
तहसील ओसियां, जिला जोधपुर
31. तहसीलदार ओसियां

... रेस्पो.

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिकी सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, ओसियां दिनांक 02 दिसम्बर 2019 राजस्व वाद संख्या 96/2019 प्रकाशकंवर व अन्य बनाम फूलकंवर इत्यादि

उपस्थित-
श्री रघुवीरसिंह, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री रोशनलाल विश्नोई, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 से 18

नि र्ण य

दिनांक : 11 सित. 2020

अदालत हाजा के समक्ष ये दोनों अपीलें राजस्व वाद संख्या 96/2019 के खिलाफ आलौच्य अपील प्रकाशकंवर व अन्य बनाम फूलकंवर आदि में विद्वान सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 02 दिसम्बर 2019 के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत प्रस्तुत की गयी है। प्रत्येक अपील के साथ अपीलाण्ट-पक्ष की ओर से भारतीय समय सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत एक प्रार्थनापत्र अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

इन दोनों अपीलों से संबंधित अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी, मूल वाद, वादग्रस्त आराजियात, पक्षकारान, इत्यादि समान होने से इनका निस्तारण एक साथ एक ही निर्णय के जरिये किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक संबंधित अपील पत्रावली के संलग्न रखी जावें।

अपील के साथ अपीलाण्ट्स की ओर से भारतीय समय सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थनापत्र पेश कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपील संख्या 101/2020 के आधार पर प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण-अपीलाण्टस ने आराजी खसरा संख्या 1582 रकबा 61 बीघा 12 बिस्वा, खसरा संख्या 1577 रकबा 02 बिस्वा, खसरा संख्या 1582/2 रकबा 1बीघा 10 बिस्वा वाके मौजा ओसियां और खसरा संख्या 1514 व 1515 रकबा 76 बीघा 01 बिस्वा वाके मौजा भवानीसिंहनगर, खसरा संख्या 597 रकबा 9 बीघा 16 बिस्वा वाके मौजा भेरूसागर, खसरा संख्या 239 रकबा 62 बीघा 12 बिस्वा वाके मौजा हरीपुरा तथा खसरा संख्या 699 रकबा 44 बीघा 12 बिस्वा वाके मौजा प्रतापनगर संयुक्त खातेदारी की होना दर्शाते हुए एक राजस्व वाद उक्त खातेदारी भूमि के विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु पेश किया, जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 23 सितम्बर 2019 को स्वीकार करते हुए प्राथमिक डिकी जारी कर विभाजन प्रस्ताव तलब किये गये एवं दिनांक 02 दिसम्बर 2019 को फाइनल डिकी जारी की गयी। उक्त फाइनल डिकी के खिलाफ अपीलाण्ट्स-वादीगण की ओर से अपील संख्या 101/2020 तथा अपीलाण्ट-प्रतिवादिनी फतेहकंवर की ओर से अपील संख्या 100/2020 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत पेश की गयी है।

उभय पक्ष के अधिवक्तागण की सहमति से शेष रेस्पोडेंट की तामील व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली बगैर ही बहस सुनी गयी। अपील संख्या 101/2020 में अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स का कथन है कि वादग्रस्त आराजियात में अपीलाण्ट्स का आधा हिस्सा है और बकाया आधा हिस्सा प्रतिवादीगण-रेस्पो. संख्या एक से दस का है, मौके पर अंदाजिया विभाजन हो रखा है, इस कारण विवाद की स्थिति बनी रहती है और इसी कारण विधिवत औपचारिक रूप से विभाजन करवाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 23 सितम्बर 2019 को दावा स्वीकार कर प्राथमिक डिकी

पाधरस अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पारित की, और विभाजन प्रस्ताव तलब किये गये, दिनांक 02 दिसम्बर 2019 को विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर फाइनल डिकी जारी कर दी गयी, मगर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा फाइनल डिकी जारी करने से पूर्व विभाजन प्रस्ताव मंगवाने में राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 की पालना सुनिश्चित नहीं की। बंटवारा प्रस्ताव एवं नक्शें की स्थिति में एकरूपता नहीं होकर विरोधाभास है। इसके अतिरिक्त वाद में वादीगण द्वारा धारा 188 के तहत चाहे गये अनुतोष बाबत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया। मियाद के संबंध में अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स का कथन है कि अपीलाधीन निर्णय व फाइनल डिकी बाबत अधीनस्थ न्यायालय में उनके अधिवक्ता द्वारा समुचित समय में सूचना नहीं दी गयी, अपीलाधीन निर्णय एवं फाइनल डिकी बाबत प्रतिवादीगण द्वारा मौके पर आकर अपीलाण्ट्स की अच्छी भूमि पर कब्जा करने का प्रयास करने, अपीलाण्ट्स द्वारा विरोध करने पर प्रतिवादीगण द्वारा निर्णय बाबत बनाये जाने और तब नकलों हेतु आवेदन कर दिनांक 25 अगस्त 2020 को नकलें प्राप्त होने पर हुई। इस कारण अपील पेश करने में हुए सद्भाविक विलम्ब को क्षमा किया जावे। अतः अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

अपील संख्या 100/2020 में अधिवक्ता-अपीलाण्ट का तर्क है कि अपीलाण्ट पर अधीनस्थ न्यायालय में सम्मन की सम्यक तामील नहीं हुई। प्रथम बार तलबी हेतु सम्मन अदम तामील/बाद तामील प्राप्त नहीं होने पर दुबारा सम्मन जारी किये जाने या रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये जाने का उल्लेख तक नही है। विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाने बाबत भी मौके पर उपस्थित रहने बाबत अपीलाण्ट-प्रतिवादी संख्या दो को कोई सूचना संबंधित तहसीलदार द्वारा जारी नहीं की गयी। विभाजन प्रस्ताव तैयार करने में पक्षपात किया गया है। फाइनल डिकी जारी किये जाने के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पूर्व विभाजन प्रस्ताव पर सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। बिना कोई समुचित कारण के सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया, इस कारण अपीलाधीन निर्णय एवं वाद की कार्यवाही बाबत अपीलाण्ट-प्रतिवादी संख्या दो को कोई जानकारी नहीं हो पायी। बंटवारे की डिक्री के बाद रेस्पो. मौके पर तारबंदी करने लगे तो अपीलाण्ट ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर जानकारी ली और तदनुसार प्रमाणित नकल अपीलाधीन निर्णय की प्राप्त की, तब दिनांक 11 अगस्त 2020 को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री बाबत विधिवत ज्ञान हुआ। अतः अपील मियादशुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार की जावे और वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। अपील संख्या 101/2020 के संलग्न प्रस्तुत बंटवाडा प्रस्ताव मौका फर्द की प्रमाणित प्रतिलिपि के अवलोकन मात्र से प्रकट है कि **मौके पर बंटवारा प्रस्ताव संबंधित तहसीलदार की बजाय पटवारी हळका ओसियां द्वारा तैयार किये गये है।** इसी प्रकार अधीनस्थ न्यायालय की मूल वाद से संबंधित आदेशिकाओं की प्रमाणित प्रतिलिपियों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि **विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद पक्षकारान से उक्त विभाजन प्रस्ताव बाबत आपत्तियॉं प्राप्त कर यदि कोई उज्र-एतराज हो तो निराकरण किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं फाइनल डिक्री पारित कर दिये गये है।** इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02 दिसम्बर 2019 राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना सुनिश्चित किये बिना ही पारित कर दिये गये है, जो अदालत हाजा की राय में बहाल रखे जाने योग्य नहीं है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

दोनों अपीलें गुणावगुण पर उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में सारवान पायी जाती है, अतः समय समय पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा धारित मत, जहॉ प्रकरण गुणावगुण पर सारवान पाया जावे, उन मामलों में मियाद जैसे तकनीकी आधार पर पक्षकारान के लिए न्यायप्राप्ति का मार्ग अवरुद्ध नहीं किया जाना चाहिये, का अनुसरण करते हुए ये दोनों अपीलें निर्धारित समय सीमा में पेश किया जाना शुमार किया जाता है और गुणावगुण पर दोनों अपीलें आंशिक तौर पर स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय एवं फाइनल डिकी दिनांक 02 दिसम्बर 2019 अपास्त कर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि सभी पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए रास्ते की भूमि के रुप में इंगित संयुक्त खातेदारी का रकबा स्पष्ट करते हुए और विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना सुनिश्चित करवाते हुए पुनः फाइनल डिकी एवं निर्णय पारित किया जावे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर